न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2021 दायर दिनांकः 22/04/2021

उनवान

1. रामचन्द्री पुत्री मोती
2. सूरज्या पुत्र मोती,मोत्या
3. तोला पुत्र मोती
4. बाबूलाल पुत्र मोती, मोत्या
5. भूलीबाई पुत्री मोती, मोत्या जातियान मेघवाल निवासीगण गन्दोलिया तह0 अटरू जिला बारां राज0

प्रार्थीयागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौत्तम।

आदेश दिनाकः 23/08/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि ग्राम एवं माल गन्दोलिया तह0 अटरू जिला बारां में खाता संख्या 134 के ख0न0 308 में प्रार्थीगण क्रम 4 व 5 बाबू पुत्र मोत्या तथा भूली पुत्री मोत्या जाति मेघवाल निवासीगण गन्दोलिया अंकित है। जो अशुद्ध है जबकि प्रार्थीगण क्रम 4 व 5 का नाम बाबूलाल पुत्र मोतीलाल तथा भूलीबाई पुत्री मोतीलाल जाति मेघवाल है। इसी तरह ग्राम व माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां में खाता नं. 110 में प्रार्थीगण का नाम रा[illegible]त्री मोती, सुरज्या पुत्र मोती, तोला पुत्र मोती, बाबूलाल पुत्र मोती तथा भूलीबाई पुत्री मोती [illegible] गया है जो अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण का शुद्ध नाम रामचन्द्री पुत्री मोतीलाल, सूरज[illegible] पुत्र मोतीलाल, तोलाराम पुत्र मोतीलाल, बाबूलाल पुत्र मोतीलाल तथा भूलीबाई पुत्री मोतीलाल है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित ग्राम व माल गन्दोलिया तहसील अटरू की खाता सं0 134 एवं ग्राम व माल अटरू की खाता संख्या 110

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:24 IST
Reason: Self Attested

में प्रार्थीगण एवं उनके पिता का नाम अशुद्ध अंकित है। प्रार्थीगण को समाज में बोलचाल की भाषा में ऐसे ही पुकारते है। जो अच्छा महसूस नहीं होता है। जो शुद्धीकरण किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने नामों के शुद्धीकरण एवं शुद्ध असली नाम होने का ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने नाम का शुद्धीकरण करने एवं शुद्ध सही नाम होने का शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नाम शुद्धीकरण बाबत प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रार्थीगण के नामों का शुद्धीकरण नही किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद नं 1 व 2 में वर्णित खाता संख्या 134 ग्राम व माल गन्दोलिया की एवं खाता संख्या 110 ग्राम व माल अटरू की के अन्य सहखातेदारान का इस शुद्धीकरण से कोई लेना देना नही हे। इसलिए उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। भूमि ग्राम व माल गन्दोलिया एवं अटरू में स्थित होने से एवं प्रार्थीगण ग्राम गन्दोलिया तहसील क्षैत्र अटरू जिला बारां के होने से एवं प्रार्थना पत्र नाम शुद्धीकरण दुरूस्ती का होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि प्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र की मद न० 1 की ग्राम व माल गन्दोलिया की खाता संख्या 134 में एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 की ग्राम व माल अटरू की खाता संख्या 110 में निम्न प्रकार संशोधित किया जावेः–

रामचन्द्री पुत्री मोतीलाल, सूरजमल पुत्र मोतीलाल, तोलाराम पुत्र मोतीलाल, बाबूलाल पुत्र मोतीलाल, भूलीबाई पुत्री मोतीलाल

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। साक्ष्य प्रार्थीगण के अन्तर्गत सभी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश कर रखे है। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम एवं माल गन्दोलिया में खाता संख्या 134 के ख0न0 308 में प्रार्थीगण कम 4 व 5 बाबू पुत्र मोत्या तथा भूली पुत्री मोत्या जाति मेघवाल के स्थान पर प्रार्थीगण कम 4 व 5 का नाम कमशः बाबूलाल पुत्र मोतीलाल तथा भूलीबाई पुत्री मोतीलाल जाति मेघवाल तथा ग्राम व माल अटरू में खाता नं. 110 में प्रार्थीगण का नाम रामचन्द्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested

पुत्री मोती, सुरज्या पुत्र मोती, तोला पुत्र मोती, बाबूलाल पुत्र मोती तथा भूलीबाई पुत्री मोती के स्थान पर प्रार्थीगण का शुद्ध नाम रामचन्द्री पुत्री मोतीलाल, सूरजमल पुत्र मोतीलाल, तोलाराम पुत्र मोतीलाल, बाबूलाल पुत्र मोतीलाल तथा भूलीबाई पुत्री मोतीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम एवं माल गन्दोलिया में खाता संख्या 134 में प्रार्थीगण कम 4 व 5 बाबू पुत्र मोत्या तथा भूली पुत्री मोत्या का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है तथा जमाबंदी ग्राम व माल अटरू में खाता नं. 110 में प्रार्थीगण का नाम रामचन्द्री पुत्री मोती, सूरज्या पुत्र मोती, तोला पुत्र मोती, बाबूलाल पुत्र मोती, भूलीबाई पुत्री मोती सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 308 में प्रार्थीगण का नाम रामचन्द्री उर्फ रामनाथी पुत्री मोत्या, सुरजमल पुत्र मोत्या, तोल्या पुत्र मोत्या, बाबू पुत्र मोत्या, भूलीबाई पुत्री मोत्या दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड में प्रार्थीगण का नाम रामचन्द्री, सूरजमल, तोलाराम, बाबूलाल तथा भूलीबाई दर्ज है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 134 व खाता संख्या 308 तथा ग्राम अटरू की खाता संख्या 110 में प्रार्थीगण सहखातेदार रामचन्द्री पुत्री मोती/मोत्या के स्थान पर रामचन्द्री पुत्री मोतीलाल, सुरज्या पुत्र मोती/मोत्या के स्थान पर सूरजमल पुत्र मोतीलाल, तोल्या/तोला पुत्र मोती/मोत्या के स्थान पर तोलाराम पुत्र मोतीलाल, बाबू/बाबूलाल पुत्र मोती/मोत्या के स्थान पर बाबूलाल पुत्र मोतीलाल, भूलीबाई पुत्री मोती/मोत्या के स्थान पर भूलीबाई पुत्री मोतीलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2021 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां